महत्वपूर्ण / बजट 2017-2018

संख्या:6/2017/बी-1-550/दस-2017-12(2)/2017

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनाँक:10 अप्रैल, 2017**

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-2018 के बजट अनुमानों को तैयार किया जाना ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के बजट अनुमानों को तैयार कर बजट प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने विषयक शासनादेश संख्या-4/2017/बी-1-414/दस-2017-12(2)/2017 दिनाँक 23 मार्च, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विभागों से सरकार की प्राथमिकताओं एवं प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखकर बजट में सम्मिलित किये जाने वाले सभी प्रस्ताव सक्षम स्तर (माननीय विभागीय मंत्री / माननीय मुख्य मंत्री) का अनुमोदन प्राप्त कर दिनाँक 30 अप्रैल, 2017 तक अनिवार्य रूप से वित्त विभाग को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है ।

इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनाँक 23 मार्च, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार बजट प्रस्ताव जैसे-जैसे तैयार होते जायें, उन्हें तुरन्त वित्त विभाग को प्रेषित कर दिया जाये और निर्धारित अन्तिम तिथि (दिनाँक 30 अप्रैल, 2017) तक प्रेषित किये जाने के लिये रोके न रखा जाय । इससे वित्त विभाग को प्रस्तावों के परीक्षण के लिये पर्याप्त समय मिल सकेगा और यदि किसी अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता होगी तो उसे विभाग से माँगा जा सकेगा ।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

मुकेश मित्तल
सचिव ।

संख्या:6/2017/बी-1-550 (1)/दस-2017-12(2)/2017, तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. **प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।**
2. **प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।**
3. **निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त ।**
4. **सचिवालय के समस्त अनुभाग ।**
5. **वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अनुभाग ।**
6. **वित्त विभाग के समस्त विशेष सचिव, व्यय-नियंत्रण अनुभाग ।**
7. **गार्ड फाइल ।**

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in